न्यायालय- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- तृतीय, सहारनपुर।

सरकार बनाम बलदेव
धारा- 379,328 बी.एन.एस.
थाना- जनकपुरी, सहारनपुर।
मुकदमा अपराध संख्या- 93/ 2024

19.05.2026

मुकदमा अपराध संख्या- 93 / 2024, धारा- 379,328 बी.एन.एस. थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर के अपराध के सम्बन्ध में प्रार्थी/अभियुक्त **बलदेव** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है और प्रार्थी को रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। वाद उक्त में कोई भी साक्षी पब्लिक का नहीं है जिससे भी कहानी अभियोजन पक्ष झूठी व फर्जी साबित होती है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.11.2024 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु आज ही बल दिया गया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त दिनांक 17.11.2024 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त प्रकरण में उक्त धाराओं में कारित अपराध अजमानतीय एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/ अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त नही है। तद्नुसार प्रार्थी/ अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **बलदेव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – तृतीय
सहारनपुर

Digitally signed by ASHUTOSH TIWARI
Date: 2026.05.21 11:58:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court